न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 02 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रीना जयसवाल वगैरह..... प्रथम पक्ष

बनाम

विष्णु कोईरी वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग टिप्पणी तारीख सहि
28/07/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या–02 / 2017 दिनांक–10 / 01 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है, दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद खाता नं०–1116, प्लॉट नं०–73, रकवा–1.77 ए० जमीन पर विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। **प्रथम पक्ष गवाही–** प्रथम पक्ष की ओर से पार्टी गवाह रीना जयसवाल ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन का खाता नं०–1116, प्लॉट नं०–73, रकवा–1.77 ए० है। विवाद लगभग 30 डी० जमीन पर है। द्वितीय पक्ष के लोग जबरन मेरे जमीन को कब्जा कर रखे हैं, जाने पर गाली–गलौज करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। विवादित जमीन को मेरे पिताजी भुनेश्वर प्रसाद भगत रजिस्ट्री डीड द्वारा प्राप्त किए थे उक्त जमीन को 07–06–1941 को खरीदे थे। मैंने या मेरे पिताजी वगैरह ने कभी–भी द्वितीय पक्ष को कोई जमीन नहीं बेचा है। इस केस को छोड़ कर मेरे व द्वितीय पक्ष के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है द्वितीय पक्ष से विवाद की तिथि मुझे मालूम नहीं है। द्वितीय पक्ष के लोग पिछले साल जून में जब मैं नापी करा रही थी तब से ही घर बनाना शुरू किए हैं एवं अपने कब्जे में ले लिए हैं। **द्वितीय पक्ष गवाही–** द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 शिवलाल महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है। 10 डी० जमीन भुनेश्वर भगत पिता हराधन भगत जमीन बिक्री किया बोड़ा महतो पिता कार्तिक महतो को जमीन बिक्री की तिथि 11–09–1945 है, बिक्री 50 रू० लेकर किया गया है, 10 डी० जमीन का दाखिल खारिज हुआ है, लगान का रसीद 2016 तक का कटा है, प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से कोई जमीन नहीं पायेगें। विवादित जमीन 10 डी० पर द्वितीय पक्ष के लोग 1945 से दखल कब्जा में हैं। द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष को कभी भी धमकी नहीं दिए हैं इसके पहले उभय पक्ष में कोई केस मुकदमा नहीं हुआ है। क्रमशः पृ०सं०–02...	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 विष्णु कोईरी (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि [illegible] विवाद है, जमीन को लेकर है। विवादित जमीन को मेरे पिताजी [illegible] मेरे पिताजी बोंडा महतो 11–09–1945 में जमीन को लिए थे। [illegible] कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। वर्तमान में [illegible] नहीं है। मेरे पिता [illegible] दावा खाता नं० [illegible] पक्ष के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है।

उभय पक्ष के [illegible] गवाहों की गवाही से स्पष्ट होता है कि [illegible] होने का दावा कर रहे हैं एवं एक दूसरे के [illegible] कोई घटना नहीं हुई है एवं वाद की कार्रवाई के दौरान [illegible] नहीं किए जाने के कारण वाद की कार्रवाई बिना किसी [illegible] है। चूँकि भूमि से संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की परख हेतु [illegible] अतः आहत पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

28/7/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।